



सं० 951/मु०अ०(वा०एवंऊ०ले०)/सीयूआर-II/आर-3

दिनांक: 18-08-2020

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा विद्युत उपभोक्ताओं पर लम्बित विद्युत भुगतान के बकायों की प्रभावी वसूली हेतु स्थायी विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया के क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में उ०प्र० पा० का० लि० द्वारा निर्गत पूर्व आदेश सं० 145-मु०अ०(वा०एवंऊ०ले०)/सीयूआर-द्वितीय/आर-3 दिनांक 01.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाते हैं। इन आदेशों का अनुपालन डिस्काम के वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा:-

1(क) सभी टैरिफ श्रेणी के ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं जिनका संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित है अथवा भविष्य में विच्छेदित होना है उनका स्थायी विच्छेदन करने हेतु उनका अनुबन्ध निरस्त करके उनके मीटर एवं केबिल (सर्विस लाइन) संयोजन स्थल से निकलवाकर विच्छेदन की तिथि तक तथा जिन मामलों में अनुबन्ध की अवधि पूर्ण नहीं हुई है उनमें अस्थायी विच्छेदन की तिथि से छः माह की अवधि अथवा अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, स्थायी विच्छेदन मानते हुए बकाया की पूर्ण वास्तविक धनराशि, विच्छेदन शुल्क (टैरिफ में प्रावधान के अनुसार) के साथ बिल बनाने के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति एवं बिल की तिथि तक उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि का समायोजन करते हुए अन्तिम बिल निर्गत किया जाएगा। शेष बकाया (यदि हो) समाप्त कर दिया जाएगा।

1(ख) विद्युत उपभोक्ता के स्थायी विच्छेदन की प्रक्रिया में स्थायी विच्छेदन हेतु उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के पैरा 4.38 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वास्तविक बकाये के वसूली हेतु धारा-3 एवं धारा-5 की नोटिस इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व आदेशों के अनुरूप निर्गत की जायगी। यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि धारा-3 एवं धारा-5 के नोटिस में उपभोक्ता का नाम, उपभोक्ता के पिता का नाम एवं पूर्ण पता अवश्य अंकित हो। ऐसे प्रकरणों में जिनमें संयोजन का स्थायी विच्छेदन मानकर देयों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है। उनमें धारा-3 एवं धारा-5 के नोटिस में दर्शाई गई राशि में उपभोक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति तथा उस पर देय ब्याज की धनराशि का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

2. स्थायी विच्छेदन हेतु विद्युत विच्छेदन तिथि निर्धारण करने का अधिकार निम्नवत् होगा।

क्र० सं०	उपभोक्ता श्रेणी	पदधारक/नामित समिति
1	टैरिफ दर अनुसूची एल०एम०वी०-1 (4 KW तक) द्वारा आवरित घरेलू बत्ती, पंखा के उपभोक्ता	1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता
2	टैरिफ दर अनुसूची एल०एम०वी०-1 (4 KW से ऊपर एवं 10 KW तक) आवरित घरेलू बत्ती, पंखा के उपभोक्ता एवं एल०एम०वी०-2 (10 KW तक) द्वारा आवरित वाणिज्यिक बत्ती, पंखा के उपभोक्ता।	1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता 2. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
3	टैरिफ दर अनुसूची उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ता को छोड़कर अन्य सभी टैरिफ श्रेणियों के आवरित उपभोक्ता	1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता 2. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी

ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं (सभी श्रेणी) जिनका संयोजन स्थल पर उपलब्ध नहीं है अथवा उनके संयोजन के विच्छेदन होने की तिथि की सूचना उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विद्युत संयोजन विच्छेदित होने की तिथि निर्धारित करने हेतु नामित पदधारक/समितियों के सदस्यों द्वारा संयोजन स्थल का वास्तविक निरीक्षण करके सम्भावित विच्छेदन तिथि निर्धारित की जाएगी। पदधारक/समितियाँ यथा सम्भव आस-पास के उपभोक्ताओं/पड़ोसियों से पूछताछ भी करेगी एवं

उसका उल्लेख अपनी स्थायी विच्छेदन रिपोर्ट (प्रारूप 1/2) में करेगी। उपभोक्ताओं/पडोसियों के विवरण की अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

आधार कार्ड/पैन कार्ड/कुटुम्ब रजिस्टर/वोटर कार्ड/झाड़विंग लाइसेंस की छायाप्रति तथा प्रमाण स्वरूप घरेलू/वाणिज्यिक श्रेणी एवं अन्य सभी संयोजनों हेतु कम से कम 2 पडोसी व सम्मानित व्यक्तियों के लिखित बयान अनिवार्य होंगे।

स्थायी विच्छेदन एवं अवास्तविक बकाये का विवरण दिये गये प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सम्बन्धित पदधारक/समिति द्वारा प्रारूप-1, 2 में भरकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. स्थायी विच्छेदन का निस्तारण करने का अधिकार।

उपरोक्त 1 और 2 से आच्छादित सभी संयोजन — उपखण्ड अधिकारी।

बिन्दु संख्या 3 से आच्छादित सभी संयोजन — अधिशासी अभियन्ता।

स्थायी विच्छेदन तिथि के निर्धारण का उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता/सक्षम समिति का होगा। स्थायी विच्छेदन फाइनल करने हेतु सभी प्रपत्र ऑनलाईन भरे जायेंगे और सभी प्रपत्रों को ऑनलाइन सिस्टम पर सुरक्षित रखा जायेगा। पी.डी. फाइनल करने की प्रक्रिया का स्वरूप ऑनलाइन करने का कार्य उ0प्र0पा0का0लि0 के आई0टी0 इकाई द्वारा विकसित किया जायेगा। स्थायी विच्छेदन हेतु भरे जाने वाले आख्या का प्रारूप -1 एवं अवास्तविक बकाये का विवरण भरे जाने का प्रारूप-2 संलग्न है।

उपभोक्ताओं के खाता समाप्ति का अधिकार उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को उनके दिये गये प्रदत्त शक्तियों के अनुसार होगा तथा भुगतान उपरान्त खाता बन्दी एवं Stop Billed की कार्यवाही उनके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। अधिशासी अभि० समस्त स्थायी विच्छेदनों की खाता समाप्ति सम्बन्धी अभिलेखों का रिकार्ड रखेंगे। अगले माह के बिलिंग चक्र तक उपभोक्ता का काल्पनिक बकाया/वास्तविक बकाया (भुगतान होने पर) समायोजन की कार्यवाही पूरी की जायेगी।

उपरोक्त मामलों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभि०(वितरण) के कार्यालय द्वारा अवास्तविक बकाये की धनराशि के आँकड़े प्रारूप -2 में प्रत्येक माह सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता को अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अप्राप्य बकाया (Irrecoverable Dues) के अपलेखन किये जाने की कार्यवाही एवं क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये गये हैं।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ0प्र0पा0का0लि0

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम एवं केस्को।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
6. निदेशक (वित्त), डिस्काम एवं केस्को।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
8. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0/कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ऑनलाइन सिस्टम से पी.डी. फाइनल करने की प्रक्रिया को विकसित करेंगे।

(एम०के०बराज)
प्रबन्ध निदेशक

स्थायी विच्छेदन हेतु पदधारक/समिति की आख्या

विद्युत वितरण खण्ड

पदधारक/समिति ने दिनांक को श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पत्नी श्री ग्राम व पता

बुक संख्या कनेक्शन संख्या अकाउंट आईडी

उपकेन्द्र का नाम 11 केवी पोषक का नाम

स्थायी विच्छेदन की तिथि निर्धारित करने हेतु साईट का निरीक्षण किया। साईट पर निम्नलिखित स्थिति पायी गई।

1. साईट पर लगे सामान का विवरण निम्नवत है :-

.....
.....
.....

2. साईट पर कोई सामान नहीं है

3. अन्य विवरण यदि कोई हो तो

उपरोक्त उपभोक्ता की स्थायी विच्छेदन की तिथि निर्धारित की जाती है।

शहर वासियों/पार्षद/ग्राम निवासियों/ग्राम प्रधान/व अन्य कर्मचारियों द्वारा दिये गये कथन साथ में संलग्न है।

विद्युत वितरण उपखण्ड
 विद्युत वितरण खण्ड
 विद्युत वितरण मण्डल.....
 विद्युत वितरण क्षेत्र.....

घरेलू बत्ती पंखा के 4 कि०वा० तक के संयोजन
अवास्तविक बकाया (Fictitious Arrear) का विवरण

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम तथा पता	माह के बिल रजिस्टर/लेजर के अनुसार बकाया धनराशि (रु०)		अवर अभियन्ता द्वारा निर्धारित विच्छेदन तिथि	निर्धारित विच्छेदन तिथि के आधार पर बकाये की संशोधित धनराशि (रु० में)	अवास्तविक बकाये की धनराशि (रु० में)	वास्तविक धनराशि जिस पर वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित (रु० में)	अन्य विवरण
		माह	धनराशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग (कॉलम 4, 6,7 एवं 8)							

कालम संख्या 1 से 5 अवर अभियन्ता द्वारा भरा जायेगा।

कालम संख्या 6 से 9 सहायक अभियन्ता द्वारा भरा जायेगा।

विद्युत वितरण उपखण्ड
 विद्युत वितरण खण्ड
 विद्युत वितरण मण्डल.....
 विद्युत वितरण क्षेत्र.....

एल0एम0वी0-1 (4 KW से ऊपर एवं 10 KW तक) आवरित घरेलू बत्ती, पंखा एवं
एल0एम0वी0-2 (10 KW तक) द्वारा आवरित वाणिज्यिक बत्ती, पंखा के संयोजन

अवास्तविक बकाया (Fictitious Arrear) का विवरण

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम तथा पता	माह के बिल रजिस्टर/लेजर के अनुसार बकाया धनराशि (रु0)		उपखण्ड अधिकारी की समिति द्वारा निर्धारित विच्छेदन तिथि	निर्धारित विच्छेदन तिथि के आधार पर बकाये की संशोधित धनराशि (रु0 में)	अवास्तविक बकाये की धनराशि (रु0 में)	वास्तविक धनराशि जिस पर वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित (रु0 में)	अन्य विवरण
		माह	धनराशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग (कॉलम 4, 6, 7 एवं 8)							

कालम संख्या 1 से 4 अवर अभियंता द्वारा भरा जायेगा।

कालम संख्या 5 से 9 उपखंड अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

विद्युत वितरण उपखण्ड
 विद्युत वितरण खण्ड
 विद्युत वितरण मण्डल.....
 विद्युत वितरण क्षेत्र.....

अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजन

अवास्तविक बकाया (Fictitious Arrear) का विवरण

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम तथा पता	माह के बिल रजिस्टर/लेजर के अनुसार बकाया धनराशि (रु०)		उपखण्ड अधिकारी की समिति द्वारा निर्धारित विच्छेदन तिथि	निर्धारित विच्छेदन तिथि के आधार पर बकाये की संशोधित धनराशि (रु० में)	अवास्तविक बकाये की धनराशि (रु० में)	वास्तविक धनराशि जिस पर वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित (रु० में)	अन्य विवरण
		माह	धनराशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग (कॉलम 4, 6,7 एवं 8)							

कालम संख्या 1 से 5 अवर अभियंता / उपखंड अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

कालम संख्या 6 से 9 अधिशासी अभियंता द्वारा भरा जायेगा।